[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)] March, 2015

Government of India Ministry of Finance Department of Revenue Central Board of Direct Taxes

## **NOTIFICATION**

New Delhi. the 24

S.O. (E)- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "Chhattisgarh Building and Other Construction Workers' Welfare Board", a Board constituted by the Government of Chhattisgarh in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

- (a) workers welfare cess;
- (b) interest income; and
- (c) registration fee.
- 2. This notification shall be applicable for the financial years 2013-14 to 2017-18.
- 3. The notification shall be effective subject to the conditions that Chhattisgarh Building and Other Construction Workers' Welfare Board-
  - (a) does not engage in any commercial activity;
  - (b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
  - (c) It files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the said Act.

[Notification No 30 /2015 F.No.196/06/2014-ITA.I]

DEEPSHIKHA SHARMA Director to the Government of India

To

The Manager, Government of India Press, Mayapuri Press, New Delhi.

(भारत के राजपत्र के, असाधारण, भाग-।।, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशानार्थ) भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली2 मार्च 2015

का.आ.....(अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ बिल्डिंग और अन्य निर्माण वर्कर" कल्याण बोर्ड", छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित बोर्ड को उक्त बोर्ड को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के सबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

- (क) वर्कर कल्याण उपकर;
- (ख) ब्याज आय; और
- (ग) पंजीकरण फीस
- 2. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए लागू होगी।
- 3. यह अधिसूचना निम्नितिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होंगी, कि 'छत्तीसगढ़ बिल्डिंग और अन्य निर्माण वर्कर कल्याण बोर्ड:-
  - (क) कोई भी वाणिज्यक कार्यकलाप नहीं करेगा;
  - (ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और
  - (ग) अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम, की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनसार दायर करता है।

(अधिसूचना संख्या30/2015/ फा.स. 196/06/2014 आई टी.ए.।)

(दीपाशिखा शर्मा)

निदेशक,भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, (राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली।